

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 772]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 954(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड को अधिसूचित करती है:

परंतु गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा, उसके द्वारा किए गए पूर्वक्षण कार्य की बाबत सृजित डाटा राज्य सरकार को दे दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 16/08/2015-एम VI (भा.)]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 954(E).—In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the Gujarat Mineral Development Corporation Limited for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the said Act:

Provided that the Gujarat Mineral Development Corporation Limited shall make over the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/08/2015-M.VI (Part)]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.